

भारत के राजपत्र असाधारण भाग—1, खण्ड—1 में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 74 (आर0ई0—2013) / 2009—2014
नई दिल्ली, दिनांक: 19 नवम्बर, 2014

विषय: संयुक्त राज्य अमेरिका के अपराध नियंत्रण (सीसी) एवं क्षेत्रीय सुरक्षा (आरएस) के तहत मदों के लिए भारत का आयात/निर्यात विनियम।

विदेश व्यापार नीति, 2009—14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के पैरा 2.11 में 2.11 (ग) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित जोड़ते हैं जिसे 2.11 (घ); 2.11 (ङ.) और 2.11 (च) के रूप में पढ़ा जाएगा:

2. (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका की एकपक्षीय निर्यात नियंत्रण मदों [परिशिष्ट 31 (iiक) में यथा सूचीबद्ध अपराध नियंत्रण (सीसी) मदों और परिशिष्ट 31 (iiख) में यथा सूचीबद्ध क्षेत्रीय सुरक्षा (आरएस) मदों] से संबंधित भारत का आयात और निर्यात निम्नलिखित विनियमों द्वारा अभिशासित होगा:

संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा परिशिष्ट 31 (iiक) और परिशिष्ट 31 (iiख) दोनों में सूचीबद्ध मदें अनुमत होंगी बशर्ते आयातक परिशिष्ट 31 में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:

- i. लदान पत्र का दस्तावेजी प्रमाण जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का पत्तन दर्शाया गया हो,
- ii. ऐसा कानूनी वचनबंध कि माल का निर्यात/हस्तांतरण नहीं किया जाएगा; और
- iii. आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ है।

(ङ.) यदि आयातक संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित मदों या उसके किसी हिस्से का बाद में निर्यात करना चाहता है तो ऐसे निर्यात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी।

(च) इन मदों का आयात/निर्यात भारत के केवल ईडीआई समर्थित पत्तनों के द्वारा ही अनुमत होगा।

3. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

भारत—संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय समझौता के अनुसार अपराध नियंत्रण (सीसी) की मदें और क्षेत्रीय सुरक्षा (आरएस) की मदें उपर्युक्त पैरा 2 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अभिशासित होंगी। यह किसी अन्य देश से आयात के लिए लागू नहीं होगा।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा०सं० 01/91/171/00015/एम11/ईसी(पीसी-2(ख) से जारी)

भारत संयुक्त राज्य अमेरिका ज्ञापन के अंतर्गत आयात प्रमाण—पत्र का प्रपत्र

सं. डीजीएफटी..... / 20

भारत सरकार
आयात प्रमाण पत्र

1. आयातक (आईईसी सं. के साथ नाम और पता):
2. निर्यातक (नाम और पता):
3. आयात की जा रही मदों का ब्यौरा:

माल का विवरण	ईसीसीएन कोड*	मात्रा	मूल्य

* संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग के विनियमों के तहत मद की निर्यात नियंत्रण वर्गीकरण संख्या (ईसीसीएन)

4. आयातक ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया है:
 - I. लदान पत्र सं.दिनांक..... जिसमें..... के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का पत्तन दर्शाया गया है।
 - II. वचनबद्धता कि उक्त माल का निर्यात/हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।
5. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नाम वाले आयातक ने आगे वचन दिया है:
 - I. मद का भारत में आयात करना और भारत में इसके आने से पहले अन्य गंतव्य स्थल पर इसे या इसके किसी भाग को पुनः नहीं भेजना।
 - II. प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना मद या इसके किसी भाग का निर्यात नहीं करना।
 - III. वास्तविक प्रयोक्ता शर्त का पालन करना अर्थात् प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना इस प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट मदों का भारत में पुनः हस्तांतरण नहीं करना।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

मोहर:

पदनाम

ध्यान दीजिए: यह आयात प्रमाण पत्र आईटीसी (एचएस) के तहत प्रतिबंधित के रूप में उल्लिखित मदों के संबंध में आयात लाइसेंस के लिए स्थानापन्न नहीं है और इस प्रमाण पत्र के अलावा, आयात लाइसेंस, जहां भी ऐसी मदों के लिए इसकी आवश्यकता होगी, प्राप्त करना होगा।

भारत—संयुक्त राज्य अमेरिका ज्ञापन के अंतर्गत निर्यात प्रमाणपत्र का प्रारूप

सं० डीजीएफटी...../2014

भारत सरकार
निर्यात प्रमाणपत्र

1. निर्यातकर्ता (आईईसी सं० सहित नाम एवं पता) :
2. तीसरे देश में आयातकर्ता (नाम एवं पता) :
3. निर्यात आदेश सं०दिनांक
4. निर्यात की जा रहे मदों का विवरण:—

वस्तुओं का वर्णन	*इसीसीएन कोड	मात्रा	मूल्य	प्रविष्टि बिल सं० एवं तिथि जिससे आयात किया गया था	आईटीसी (एचएस) कोड, यदि उपलब्ध हो

* संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग के विनियमों के अंतर्गत मद की निर्यात नियंत्रण वर्गीकरण सं० (ईसीसीएन)

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्यातकर्ता प्रस्तुत करता है कि:
 - i. उपर्युक्त वस्तुओं का आयात प्रमाणपत्र सं०दिनांक के तहत डीजीएफटी की विधिवत अनुमति के अंतर्गतसंयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया गया था।
 - ii. उपर्युक्त वस्तुओं का (देश का नाम) में(तीसरे देश में परेषिती) को निर्यात किया जा रहा है।
 - iii. उपर्युक्त वस्तुओं का नॉन-सिविलियन उद्देश्यों हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

मोहर

पद

ध्यान दीजिए: यह निर्यात प्रमाणपत्र आईटीसी एचएस के तहत प्रतिबंधित के रूप में उल्लिखित मदों के संबंध में निर्यात लाइसेंस के लिए स्थानापन्न नहीं है और इस प्रमाणपत्र के अलावा निर्यात लाइसेंस, जहाँ भी ऐसी मदों के लिए इसकी आवश्यकता होगी, प्राप्त करना होगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग की वाणिज्य नियंत्रण सूची में शामिल
एकपक्षीय "अपराध नियन्त्रित" मद्दें

क्रम सं.	सीसी ईसीसीएन	विवरण
1.	0ए978	कानून प्रवर्तन स्ट्राइकिंग हथियार, सैप, पुलिस बैटन, साइड हैण्डल बैटन, टोनफास, चाबुक और हंटर सहित
2.	0ए979	पुलिस हेल्मेट, ढाल
3.	0ए981	मनुष्यों के निष्पादन हेतु डिजाइन किए गए उपस्कर
4.	0ए982	प्रतिबंधित उपकरण
5.	0ई982	प्रतिबंधित उपकरण और आग्नेय प्रकार के हथियारों के लिए प्रौद्योगिकी
6.	0ए983	यातना देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए औजार
7.	0ए984	बंदूकें
8.	0ई984	बंदूकों के लिए प्रौद्योगिकी
9.	0ए985	आग्नेय प्रकार के हथियार
10.	0ए987	ऑप्टिकल साइटिंग उपकरण
11.	1ए984	रासायनिक पदार्थ, आंसू—गैस
12.	1ए985	फिंगर प्रिंटिंग पाउडर, रंग—सामग्री, स्थाही
13.	3ए980	आवाज प्रिंट पहचान उपकरण
14.	3ए981	पॉलीग्राफ्स, फिंगरप्रिंटिंग विश्लेषक
15.	3डी980	आवाज प्रिंट पहचान के लिए सॉफ्टवेयर
16.	3ई980	आवाज प्रिंट पहचान के लिए प्रौद्योगिकी
17.	4ए003	कम्प्यूटरीकृत फिंगर—प्रिंट उपस्कर के लिए डिजिटल कम्प्यूटर्स
18.	4ए980	फिंगरप्रिंटिंग उपस्कर के लिए कम्प्यूटर्स
19.	4डी001	4ए003 द्वारा नियंत्रित डिजिटल कम्प्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर
20.	4ई001	4ए003 द्वारा नियंत्रित डिजिटल कम्प्यूटर्स के लिए प्रौद्योगिकी
21.	4डी980	4ए980 फिंगरप्रिंटिंग कम्प्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर
22.	4ई980	फिंगरप्रिंट हेतु कम्प्यूटर के लिए प्रौद्योगिकी
23.	6ए002.सी.	पुलिस—मॉडल इन्फ्रारेड व्युअर्स
24.	6ई001	पुलिस व्युअर्स विकास हेतु प्रौद्योगिकी
25.	6ई002	पुलिस व्यु उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी
26.	9ए980	मोबाइल अपराध प्रयोगशाला

संयुक्त राज्य अमेरिका, वाणिज्य विभाग की नियंत्रण सूची में एकपक्षीय "क्षेत्रीय सुरक्षा" नियंत्रित मद्दें

क्रम सं०	आरएस2 ईसीसीएन	विवरण	
1.	0ए606.बी.	भूतल वाहन, हिस्से और संघटक, जो निम्नानुसार हैः—	
		1.	शस्त्ररहित वाहन जो असैनिक वाहनों से लिए गए हैं और जिनमें निम्नलिखित हैं :—
		क.	स्तर III (राष्ट्रीय न्याय मानक संस्थान 0108.01, सितम्बर, 1985) या उससे बेहतर को प्राक्षेपिक संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिक्रियात्मक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवच को छोड़कर पदार्थों या संघटकों से युक्त विनिर्मित;
		ख.	भार वहन प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त पहिये वाले वाहनों चाहे वे चालित हो या न हों, वाहनों सहित दोनों आगे और पीछे के पहिए को ड्राइव प्रदान करने के लिए प्रेषण;
		ग.	4500 किग्रा० से अधिक सकल वाहन भार श्रेणी (जीवीडब्ल्यूआर); और
		घ.	सड़क से अलग प्रयोग के लिए डिजाइन या संशोधित किया गया।
		2.	हिस्से और संघटक जिनमें निम्नलिखित होंः—
		क.	इस प्रविष्टि के पैराग्राफ ख.1 में विनिर्दिष्ट वाहनों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हो; और
		ख.	स्तर III (राष्ट्रीय न्याय मानक संस्थान 0108.01, सितम्बर, 1985) या उससे बेहतर को प्राक्षेपिक संरक्षण प्रदान करना।
2.	0ए918	बेनट	
3.	0ई918	बेनट के "विकास", "उत्पादन" या "उपयोग" के लिए "प्रौद्योगिकी"	
4.	1ए004	संरक्षक और पहचान उपकरण तथा संघटक, जो सेना के उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार नहीं हो, जो निम्नलिखित है (नियंत्रित मद्दों की सूची देखें)।	
		क.	निम्नलिखित में से किसी के विरुद्ध रक्षा के लिए और निम्नलिखित के लिए विशेष रूप से तैयार संघटकों के लिए उस प्रकार से तैयार या संशोधित गैस मास्क, फिल्टर कनिस्टर और परिशोधन उपकरण:
		क.1.	'यूद्ध में उपयोग हेतु अनुकूलित' जैविक पदार्थ;
		क.2.	'यूद्ध में उपयोग हेतु अनुकूलित' रेडियोधर्मी पदार्थ; या
		क.3.	रासायनिक यूद्ध (सीडब्ल्यू) पदार्थ; या
		क.4.	'दंगा नियंत्रण कारक';
		ख.	निम्नलिखित के विरुद्ध रक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार या संशोधित संरक्षण सूट, ग्लब्स और जूते:

		<p>ख.1. 'युद्ध में उपयोग हेतु अनुकूलित' जैविक पदार्थ;</p> <p>ख.2. 'युद्ध में उपयोग हेतु अनुकूलित' रेडियोधर्मी पदार्थ; या</p> <p>ख.3. रासायनिक युद्ध (सीडब्ल्यू) पदार्थ;</p> <p>ग. निम्नलिखित में से किसी की खोज या पहचान के लिए विशेष रूप से तैयार या संशोधित आणविक, जैविक और रासायनिक (एनबीसी) खोज प्रणाली तथा उनके लिए विशेष रूप से तैयार अथवा संशोधित संघटक;</p>
		ग.1. युद्ध में इस्तेमाल करने हेतु अनुकूलित जैविक पदार्थ
		ग.2. युद्ध में इस्तेमाल करने हेतु अनुकूलित रेडियोएक्टिव सामग्रियां अथवा
		ग.3. रासायनिक युद्ध पदार्थ
	घ.	" विस्फोटक " अवशेषों का स्वचालित रूप से पता लगाने अथवा पहचान करने तथा ट्रेस डिटेक्शन तकनीकों (उदाहरणतः सतही ध्वनिक तरंग, आयन गतिशीलता स्पेक्ट्रोमेट्री, अवकल गतिशीलता स्पेक्ट्रोमेट्री, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री) का उपयोग करने हेतु डिजाइन किए गए इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर
5.	1डी003	विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किया गया साफ्टवेयर जिससे उपस्कर 1ए004.सी. और 1ए004.डी के अंतर्गत नियंत्रित उपस्कर के कार्यों को कर सके।
6.	1ई001	1ए004.डी द्वारा नियंत्रित वस्तुओं के "विकास" अथवा "उत्पादन" हेतु सामान्य प्रौद्योगिकी टिप्पणी के अनुसार "प्रौद्योगिकी "
7.	2ए983	विभिन्न किस्म के विस्फोटकों, विस्फोटक अवशेष अथवा विस्फोटक यंत्रों तथा कहीं भी नहीं विनिर्दिष्ट हिस्से और पुर्जों का पता लगाने हेतु स्वचालित रूप से निर्णय लेने के लिए स्वचालित उपकरण अथवा उपकरणों के समूह से निर्मित बल्क और ट्रेस दोनों पर आधारित विस्फोटक अथवा विस्फोट का पता लगाने वाले उपस्कर
8.	2ए984	30 ग्रीगा हर्ज से 3000 ग्रीगा हर्ज की बारंबारता सीमा में प्रचालित होने वाला छिपी वस्तु का पता लगाने वाला उपस्कर जिसका स्थानिक रिजोल्यूशन 0.5 मिली रेडियन तक हो जिसमें 100 मीटर की स्टेंड आफ दूरी पर 1 मिली रेडियन शामिल है तथा कहीं भी नहीं विनिर्दिष्ट हिस्से और पुर्जे।
9.	2बी018	निम्नलिखित उपस्कर:

विशेषीकृत मशीनरी, उपस्कर, गियर और तत्संबंधी विशेष रूप से डिजाइन किए गए हिस्से और अनुषंगी हिस्से (Accessories) जो इसके समेत हैं परंतु निम्नलिखित तक सीमित नहीं हों, जो हथियारों, एप्लायांसों, मशीनों तथा युद्ध के उपकरणों की जांच, विनिर्माण, परीक्षण और पड़ताल हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए हों।

क.	आर्मर प्लेट ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीनों के अलावा
ख.	आर्मर प्लेट प्लानिंग मशीन

ग.	आर्मर प्लेट क्वेंचिंग प्रेस
घ.	केन्द्रत्यागी कास्टिंग मशीन जो 6 फीट (183 सेमी) और इससे अधिक लम्बाई तथा 2 इंच, (5 सेमी) और इससे अधिक मोटाई की टयूबों की कास्टिंग कर सके।
ड.	गन बेरल राईफिल्ग और ब्रोचिंग मशीन और इसके पुर्जे
च.	गन बेरल राईफिल्ग मशीनें
छ.	गन बेरल ट्रीपेनिंग मशीनें
ज.	गन बोरिंग और टर्निंग मशीनें
झ.	6 फीट (183 सेमी) स्ट्रोक या इसके अधिक क्षमता वाली गन होनिंग मशीनें
झ.	गन जंप स्क्रू लेथ
ट.	गन राईफिल्ग मशीनें
ठ.	गन स्ट्रेटर्निंग प्रेस
ड.	टैंक टुरेट रिंगों और स्प्रोकेटों हेतु इन्डक्शन हार्डनिंग मशीनें
ढ.	सांचा और जोड़े गए उपकरण तथा धातु के कार्य वाले अन्य औजार अथवा इसी प्रकार के सहयत्र जो बदूकों, आयुध तथा अन्य सामान तथा थल, जल और नभ युद्ध के साधनों के विनिर्माण हेतु अन्य रूप से तैयार किए गए हैं:
ण.	छोटे हथियारों की चैम्बरिंग मशीनें;
त.	छोटे हथियारों की डीप होल ड्रिलिंग मशीनें और तल संबंधी ड्रिल:
थ.	छोटे हथियारों की राइफिल्ग मशीनें;
द.	छोटे हथियारों की स्पिल बोरिंग मशीनें;
ध.	टैंक टरेट बेयरिंग ग्राइंडिंग मशीनें।

10.	2डी1983	2ए983 द्वारा नियंत्रित उपकरण के विकास, उत्पादन अथवा उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार अथवा संशोधित सॉफ्टवेयर।
11.	2डी1984	2ए984 द्वारा नियंत्रित गुप्त वस्तु खोज उपस्कर के विकास, उत्पादन अथवा उपयोग हेतु अपेक्षित सॉफ्टवेयर।
12.	2ई983	2ए983 द्वारा नियंत्रित उपकरण के विकास, उत्पादन अथवा उपयोग के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी अथवा 2डी1983 द्वारा नियंत्रित सॉफ्टवेयर का विकास।
13.	2ई984	2ए984 द्वारा नियंत्रित उपकरण के विकास, उत्पादन अथवा उपयोग के लिए अपेक्षित अथवा 2डी1984 द्वारा नियंत्रित सॉफ्टवेयर के विकास हेतु अपेक्षित प्रौद्योगिकी।
14.	6ए003.बी.4.बी	अनकूल्ड थर्मल इमेजिंग कैमरे

15.	6ए998.सी.	रोटरी विंग वाले वायुयान के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए मिली मीटर तरंग से वर्धित विजन राडार इमेजिंग सिस्टम्स और इसमें निम्नलिखित होते हैं:
		1. 94 गीगा हर्ट्ज की आवृत्ति पर परिचालित होता है;
		2. 20 मेगावॉट से कम औसत उत्पादन शक्ति;
		3. 1 डिग्री की चौड़ाई वाली राडार बीम; और
		4. परिचालन रेंज 1500मी० के बराबर अथवा इससे अधिक
16.	6ए999.सी.	भूकम्पीय हस्तक्षेप खोज तंत्र जो खोज किए गए सिग्नल के स्त्रोत संबंधी धारक का पता लगाता है, वर्गीकरण करता है और निर्धारण करता है।
17.	6डी991	6ए998सी द्वारा नियंत्रित वस्तुओं के विकास, उत्पादन अथवा उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार सॉफ्टवेयर जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।
18.	6डी93.बी.	6ए999.सी. द्वारा नियंत्रित भूकम्पीय हस्तक्षेप खोज तंत्र हेतु विशेष रूप से तैयार सॉफ्टवेयर
19.	9ए515.ई.	माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक सर्किट (उदाहरण के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोसक्रिट) जिन्हें निम्नलिखित सभी विशेषताओं को पूरा करने अथवा अधिक होने के रूप में मूल्यांकन किया गया है, प्रमाणित किया गया है अथवा अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है अथवा वर्णन किया गया है तथा इन्हें संयुक्त राज्य की युद्ध सामग्री सूची द्वारा नियंत्रित रक्षा वस्तुओं के रूप में तैयार किया गया है।